(5)

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या : 22 / 16-92-टी0 सी0

लखनऊ, दिनांक 8 दिसम्बर, 1995

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की अनुसूची–दो में किये गये संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 22 / 16–92–का–2–1995, दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 को प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

(3) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(4) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल जी, उ0प्र0।

(5) सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों विभाग, उ0प्र0 शासन की सभी सम्बन्धित बोर्डों, निगमों, निकायों आदि में उपरोक्त अधिनियम को लागू कराने के अनुरोध सहित।

(6) प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) जिनमें किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के अनुरोध सहित।

(7) सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त सम्बन्धित सहकारी समितियों आदि में उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराये जाने के अनुरोध सहित।

(8) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग / सचिव आवास विभाग / सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान लागू कराने के अनुरोध सहित।

(9) राज्य के समस्त उपक्रमों / निगमों के अध्यक्ष / प्रबन्ध–निदेशक / कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।

(10) प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।

(11) निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां, लखनऊ।

(12) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सचिव, उत्तर प्रदेश।

(13) समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।

(14) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

(15) निदेशक, उच्च शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा / प्रौढ़ शिक्षा, लखनऊ।

(16) समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद् / नगर महापालिका / नगरपालिका / टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश।

(17) निबन्धक, हाईकोर्ट, इलाहाबाद / लखनऊ बेन्च, लखनऊ।

(18) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।

(19) सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(20) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(21) सचिव, अधीनस्थ, सेवा चयन, आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(22) निदेशक, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

(23) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

डा0 जी0 पी0 वार्ष्णेय,

विशेष सचिव।

क्रम-संख्या–757

रजि०नं०–एल०डब्लू० / एन० / पी० 561

लाइसेन्स / नं०डब्लू०पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 1995

अग्रहायण 17, 1917 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या : 22 / 16-92-का-2-1995

लखनऊ, 8 दिसम्बर, 1995

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0आ0–2525

रिट याचिका सं0 631 / 94 अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य और अन्य में दिनांक 4 सितम्बर, 1995 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, सन् 1994) की अनुसूची-2 को निरस्त कर दिया है और यह निर्देश दिये हैं, कि उ0 प्र0 राज्य में 1995–96 के शैक्षणिक सत्र में केन्द्र सरकार के मेमोरियल दिनांक 8 सितम्बर, 1993 में निर्धारित क्रीमिलेयर का अनुसरण किया जायेगा।

अतएव उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, सन् 1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–दो को निम्नवत् संशोधित करतें हैं और यह निर्देश देते हैं कि यह अनुसूची जो केन्द्र सरकार के मेमोरेण्डम दिनांक 8 सितम्बर, 1993 जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति में लागू हो सके, शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक सत्र 1995-96 के प्रवेश में भी लागू समझी जाएगी।

संशोधन-

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची दो रख दी जाएगी, अर्थात् :–

अनुसूची–दो

[धारा 3(1) देखिये]

एक—संवैधानिक पद

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री––

(क) भारत के राष्ट्रपति,

(ख) भारत के उप राष्ट्रपति,

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश,

(घ) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा–परीक्षक,

(ङ) इसी प्रकार के संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति।

दो—सेवा श्रेणी

(क) अखिल भारतीय केन्द्रीय और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के समूह क/श्रेणी एक अधिकारी

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री—

(क) जिनके माता/पिता दोनों समूह क/श्रेणी एक के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता पिता में से कोई भी समूह क/श्रेणी एक का अधिकारी हो,

(ग) जिनके माता पिता दोनों समूह क/श्रेणी एक के अधिकारी हों किन्तु उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय,

(घ) जिनके माता पिता में से कोई भी समूह क/श्रेणी एक का अधिकारी हो और ऐसे माता पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थाई अक्षमता से ग्रसित हो जाय, और ऐसी मृत्यु या अक्षमता के पूर्व उसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो, और

(ङ) जिनके माता पिता दोनों समूह क/श्रेणी एक के अधिकारी हों और ऐसे माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाय या वे स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाएं और दोनों की ऐसी, मृत्यु का अक्षमता के पूर्व उनमें से किसी एक को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो,

(ख) केन्द्रीय और राज्य सेवाएं (सीधी भर्ती) समूह ख/श्रेणी दो के अधिकारी

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री–

(क) जिनके माता पिता दोनों समूह ख/श्रेणी दो के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता पिता में से केवल पिता समूह ख/श्रेणी दो का अधिकारी हो और वह चालीस वर्ष या इसके पूर्व की आयु में समूह क/श्रेणी एक में आ जाय,

(ग) जिनके माता पिता दोनों समूह ख/श्रेणी दो के अधिकारी हो और उनमें से एक की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय, और उनमें से किसी एक को ऐसी मृत्यु या स्थायी अक्षमता के पूर्व किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पाँच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो,

(घ) जिनके माता पिता में से पिता समूह क/श्रेणी एक का (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और माता समूह ख/श्रेणी दो की अधिकारी हों और माता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय, और

(ङ) जिनके माता पिता में से माता समूह क/श्रेणी एक की (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के, पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और पिता समूह ख/श्रेणी दो का अधिकारी हों और पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय।

स्पष्टीकरण–इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पद "स्थायी अक्षमता का" तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके कारण कोई अधिकारी सेवा के बाहर हो जाय।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी

ऊपर उप श्रेणी (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड यथावश्यक परिवर्तन सहित उन अधिकारियों पर लागू होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा, संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि में समकक्ष या तुलनीय पदों पर और निजी नियोजन के अधीन भी समकक्ष या तुलनीय पदों और स्थानों पर हों, इन संस्थाओं में समकक्ष या तुलनीय आधार पर पदों के मूल्यांकन के लम्बित रहते नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड, इन संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होगा।

तीन---अर्द्धसैनिक बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल (सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं)

ऐसे माता पिता, जिनमें से कोई एक या दोनों सेना में कर्नल और उसके ऊपर के पर हो या नौ सेना, वायु सेना और अर्द्ध सैनिक बलों या उसके समकक्ष पदों पर हों, के पुत्र या पुत्री,

स्पष्टीकरण---इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए पिता और माता के कर्नल से नीचे के सेवा पदों को एक साथ जोड़ा नहीं जाएगा।

चार---व्यावसायिक वर्ग और व्यापार धन्धे और उद्योग में लगे व्यक्ति के श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड निम्न लिखित पर लागू होंगे:-

(क) डाक्टर, वकील, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, आयकर परामर्शदाता, दन्त चिकित्सक, अभियन्ता, वास्तुविद्, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी, लेखक, नाटककार, खिलाड़ी खेलकूद, व्यवसायी, मीडिया व्यवसायी या इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति, और

(ख) धन्धे, व्यापार और उद्योग में लगे व्यक्ति।

स्पष्टीकरण--- (एक) जहां पिता किसी व्यवसाय में हो और माता समूह ख/श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, वहां नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल पिता की आय के आधार पर लागू होगा और माता की आय इसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी।

(दो) जहां माता किसी व्यवसाय में हो और पिता समूह ख/श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, तो नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल माता की आय के आधार पर लागू होगा और पिता की आय उसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी।

पांच---सम्पत्ति स्वामी

(क) कृषि भूमि जोत

ऐसे माता-पिता जिसमें से कोई एक अपने परिवार के साथ जिसमें वह स्वयं उसकी पत्नी/पति और नाबालिग बच्चे सम्मिलित हैं, निम्नलिखित भूमि का स्वामी, हो, के पुत्र या पुत्री :---

(क) केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम जोत सीमा के पच्चासी प्रतिशत बराबर या उससे अधिक हो, या

(ख) सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि हो, जहां सिंचित भूमि (जो किसी सामान्य डिनो-मिनेटर के अधीन किसी एक प्रकार में लायी गई हो) सिंचित भूमि की साविधिक कानूनी अधिकतम जोत सीमा के चालीस प्रतिशत से अधिक है, यहां असिंचित भूमि विद्यमान परिवर्तन फार्मूला के आधार पर सिंचित भूमि में परिवर्तित कर दी जाएगी और इस प्रकार संगणित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार आई सिंचित भूमि के अनुसार कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिए कानूनी अधिकतम जोत सीमा के अस्सी प्रतिशत के बराबर या अधिक हो।

स्पष्टीकरण--पद "कानूनी अधिकतम जोत सीमा" और "परिवर्तन फार्मूला" का अर्थ उस क्षेत्र के अधिकतम कृषि जोत सीमा से सम्बन्धित विधि के अनुसार लगाया जाएगा जिसमें प्रश्नगत भूमि स्थित हो।

(ख) पौधा रोपण

(एक) काफी, चाय, रबर आदि---

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा,

(दो) आम, निंबूवंश, सेब आदि---

ऐसे पौधा रोपण की भूमि कृषि भूमि जोत समझी जाएगी और ऊपर उप श्रेणी (क) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

(ग) शहरी क्षेत्रों या शहरी समूहों में खाली भूमि या भवन-

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

स्पष्टीकरण–इस उप श्रेणी के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भवन का प्रयोग आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजनों या इस प्रकार के दो या अधिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

छः—आय या सम्पत्ति मानदण्ड

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री–

(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय एक लाख रुपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।

(ख) श्रेणी एक, दो, तीन या पांच (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ का अपात्र न हो किन्तु जिनकी अन्य श्रोतों से आय इतनी हो जो उन्हें ऊपर उप–श्रेणी (क) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के भीतर लाती हो।

स्पष्टीकरण—इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि:—

(एक) वेतन या कृषि भूमि से आय को मिलाया नहीं जाएगा,

(दो) रुपये के अनुसार आय मानदण्ड प्रत्येक तीन वर्ष में उसके मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर उपान्तरित किया जाएगा। परन्तु यदि स्थिति की ऐसी मांग हो तो इसका अन्तराल कम भी हो सकता है।

आज्ञा से,

कालिका प्रसाद,

सचिव।